<u>न्यायालय प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, गाजियाबाद।</u>
उपस्थित: मनीष निगम, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. Code No–01636
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1067/2026,
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–3127/2026,
सचिन पुत्र बनवारी लाल, निवासी रसूलपुर टप्पा सहसवान, जिला बदांयू, उ०प्र०।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन।

सत्र परीक्षण सं०–328/2026,
मु०अ०सं०–47/2026,
धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1)भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली, गाजियाबाद।

<u>दिनांक 23–06–2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण मे स्वंय को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 02–02–2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में पैरोकार पिता बनवारी लाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गोपाल सिंह द्वारा थाना–खोड़ा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि–मेरा भाई श्रीपाल सिह पुत्र जगतपाल सिह A–155 आजाद विहार खोड़ा गाजियाबाद मे रहता था तथा मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का काम करता था। दिनांक 30–01–2026 को समय करीब 10 बजे रात्रि मे वह सत्यम पुत्र तुलसी सिह निवासी कविता पैलेस खोड़ा गाजियाबाद तथा अनुराग पुत्र पान सिह निवासी कालू सीमेन्ट के पास खोड़ा गाजियाबाद के साथ अम्बेडकर गेट के पास पंडित होटल पर रवाना खाने गये थे। वहां पर होटल के कर्मचारी नागेस और विशेष के साथ रोटी लेने के ऊपर झगड़ा हुआ। ये तीनो झगड़े के बाद पीछे गली मे आ गये। कुछ देर बाद होटल मलिक धर्मेन्द्र शर्मा के साथ विशेष, नागेष, सूरज एवं राजन इक्ट्ठे होकर चाकू लेकर आये और वहां मौजूद सत्यम, श्रीपाल वअनुराग के साथ चाकू व लाठी डंडे से मारपीट करने लगे जिसमे सत्यम, श्रीपाल, व अनुराग घायल हो गये। वहां मौजूद लोग तीनो को लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली इलाज के लिए ले गये जहां पर डा० ने सत्यम व श्रीपाल को मृत्यु घोषित कर दिया तथा अनुराग का इलाज जी.टी.बी अस्पताल चल रहा है। अनुरोध है हमारी रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शर्मा एडवोकेट एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री संजीव एडवोकेट को सुना एवं समस्त अभिलेखो का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त की एफ०आई०आर० घटना दिनांक 30.01.2026 के पश्चात दिनांक 31.01.2026 को एक दिन की देरी झूंठी दर्ज करायी गयी है जबकि घटनास्थन से थाने की दूरी 3 कि०मी० है। देरी का कोई भी स्पष्टीकरण वादी द्वारा नही दिया गया है। उपरोक्त केस की एफआईआर० में अभियुक्त नामजद नही है जबकि वादी मुकदमा द्वारा भी अभियुक्त नाम नहीं लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम चुटैल के बयानो में आया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त चुटैल को नही जानता है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त की उससे कोई रंजिश रही है। चुटैल द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त का कोई रोल नही

बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त द्वारा लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई भी अपराध में प्रयुक्त बरामदगी नहीं हुई है जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी दिखायी गयी है। चुटैल द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त की शिनाख्त नही करायी गयी है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय रास्ते से जा रहा था जिस स्थान पर घटना हुई है उस घटनास्थल पर प्रार्थी/अभियुक्त मौजूद नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त को सुनियोजित तरीके से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार से आरोपित अपराध नहीं किया है। तथाकथित घटनास्थल के आसपास के किसी भी स्वतंत्र साक्षी मौजूद नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से धारा–191(2),191(3),190, 109(1),103(1) बी०एन०एस० का कोई भी अपराध किसी भी प्रकार का नही बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी अपराधिक इतिहास किसी भी प्रकार का नही है और न कभी पूर्व में रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सह –अभियुक्तगण के साथ मिलकर अम्बेडकर गेट के पास पंडित होटल पर खाना खाने के दौरान वादी मुकदमा गोपाल सिंह के भाई श्रीपाल व उसके साथी सत्यम व अनुराग के साथ एक राय होकर चाकू, लाठी डण्डो से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और इलाज के लिए ले जाने पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली मे डॉक्टरो द्वारा सत्यम व श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया तथा अनुराग को भर्ती कर लिया गया। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब वादी मुकदमा गोपाल सिह का भाई श्रीपाल व उसके साथी सत्यम व अनुराग अम्बेडकर गेट के पास पंडित होटल पर खाना खा रहे थे तो रोटी लेने के ऊपर होटल कर्मियो से विवाद हो गया। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण धर्मेन्द्र शर्मा पण्डित होटल मालिक, विशेष पण्डित होटल कर्मचारी,नागेश पण्डित होटल कर्मचारी,सूरज व राजन के साथ मिलकर एक राय होकर चाकू, लाठी डण्डो से श्रीपाल,उसके साथी सत्यम व अनुराग पर हमला करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया और इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली ले जाने पर डॉक्टरो द्वारा सत्यम व श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया तथा अनुराग को भर्ती कर लिया गया। चुटैल अनुराग के बयान मे अभियुक्त सचिन का नाम प्रकाश मे आया है और यह बताया गया कि अभियुक्त सचिन द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर हत्या जैसा गम्भीर अपराध कारित करने का आरोप है।

मामले के समस्त तथ्य व परिस्थियो एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 23–06–2026

(मनीष निगम)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–4,
गाजियाबाद।

Digitally signed by MANISH NIGAM
Date: 2026.06.30 10:52:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court